

मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

क्षेत्रीय महाप्रबंधक, एसईसीएल हसदेव क्षेत्र द्वारा वनमंडल अनूपपुर के परिक्षेत्र कोतमा के अंतर्गत झिरिया वेस्ट ओपन कास्ट परियोजना हेतु कुल 354.258 हे० वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि में से कक्ष क्रमांक आरएफ-488, पीएफ-494, आरएफ-496 का आंशिक स्थल निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 24.01.2020 एवं 26.02.2020 को किया गया। विवरण निम्नानुसार है :-

20.02.2020

क्र.	निरीक्षण के बिंदु	मुख्य वन संरक्षक का निरीक्षण विवरण				
1	सीमा हेक्टेयर	वनभूमि	314.743			
		राजस्व वन भूमि	39.515			
		योग	354.258 हे.			
2	वन भूमि का (अक्षांश, देशांश)	प्रस्ताव में संलग्न है।				
3	वन भूमि (संरक्षित वन/आरक्षित वन/राजस्व वन भूमि या किसी भी अन्य वन भूमि) की कानूनी स्थिति	वनभूमि का विवरण			रिमार्क	
		क्र.	कक्ष क्रमांक	रकबा		
		1	RF-488	128.486		
		2	PF-492	1.734		
		3	PF-493	2.437		
		4	PF-494	27.084		
		5	RF-496	148.789		
		6	PF-498	1.396		
		7	RF-502	1.576		
		8	RF-502	3.241	रोड हेतु	
		Total			314.743	
		राजस्व वनभूमि का विवरण				
		क्र.	ग्राम का नाम	खसरा	रकबा	
		1	फूलकोना	1186/1	0.414	
		2	फूलकोना	1187	0.729	
		3	फूलकोना	1188	4.844	
		4	फूलकोना	1189	0.563	
		5	फूलकोना	1289	1.772	
		6	फूलकोना	1290	0.877	
		7	फूलकोना	1295	9.229	
		8	फूलकोना	1296	0.088	
		9	डुमरकछार	2/1	0.357	
		10	भलमुड़ी	21/1	20.642	
Total			10 kita	39.515		
G. Total			-	354.258		
4	अस्थायी केन्स आदि के साथ क्षेत्र का सीमांकन	एस0ई0सी0एल0 के प्रतिनिधि के साथ क्षेत्र का संयुक्त सीमांकन किया गया।				
5	अतिक्रमण का कोई भी लक्षण	प्रस्तावित क्षेत्र में अतिक्रमण के कोई भी लक्षण नहीं हैं।				
6	किसी भी गतिविधि को पहले से ही उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि या उससे सटे गैर वन भूमि के भीतर प्रस्तावित परियोजना के भाग के रूप में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा कर लिया गया हो तो वन संरक्षण अधिनियम के तहत दिशा निर्देशों का उल्लंघन के मामले में उपयोगकर्ता एजेन्सी के खिलाफ की गई कार्यवाही का विवरण।	उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा वनभूमि में कोई अवैध कार्य नहीं किया गया है। अतः कार्यवाही करने की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है।				

7	वनस्पति की स्थिति। साइट की गुणवत्ता/प्रजाति संरचना आदि	<table><tr><th>क्र.</th><th>वन कक्ष क.</th><th>प्रभावित रकबा (हे.मै.)</th><th>घनत्व</th><th>वन का प्रकार</th><th>स्थल गुणवत्ता</th><th>प्रबंधन प्रणाली</th></tr><tr><td>1</td><td>RF-488</td><td>128.486</td><td>0.5</td><td>साल</td><td>IVA</td><td>SC 1</td></tr><tr><td>2</td><td>PF-492</td><td>1.734</td><td>0.4</td><td>साल</td><td>IVA</td><td>पुनर्स्थापन</td></tr><tr><td>3</td><td>PF-493</td><td>2.437</td><td>0.1</td><td>साल</td><td>IVA</td><td>पुनर्स्थापन</td></tr><tr><td>4</td><td>PF-494</td><td>27.084</td><td>0.4</td><td>साल</td><td>IVB</td><td>पुनर्स्थापन</td></tr><tr><td>5</td><td>RF-496</td><td>148.789</td><td>0.5</td><td>साल</td><td>IVB</td><td>पुनर्स्थापन</td></tr><tr><td>6</td><td>PF-498</td><td>1.396</td><td>0.4</td><td>मिश्रित</td><td>IVB</td><td>पुनर्स्थापन</td></tr><tr><td>7</td><td>RF-502</td><td>1.576</td><td>0.1</td><td>मिश्रित</td><td>IVA</td><td>पुनर्स्थापन</td></tr><tr><td>8</td><td>RF-502</td><td>3.241</td><td>0.1</td><td>मिश्रित</td><td>IVA</td><td>पुनर्स्थापन</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>314.743</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> घनत्व 0.1 से 0.5 का एवं साइट गुणवत्ता IVA एवं IVB का है।	क्र.	वन कक्ष क.	प्रभावित रकबा (हे.मै.)	घनत्व	वन का प्रकार	स्थल गुणवत्ता	प्रबंधन प्रणाली	1	RF-488	128.486	0.5	साल	IVA	SC 1	2	PF-492	1.734	0.4	साल	IVA	पुनर्स्थापन	3	PF-493	2.437	0.1	साल	IVA	पुनर्स्थापन	4	PF-494	27.084	0.4	साल	IVB	पुनर्स्थापन	5	RF-496	148.789	0.5	साल	IVB	पुनर्स्थापन	6	PF-498	1.396	0.4	मिश्रित	IVB	पुनर्स्थापन	7	RF-502	1.576	0.1	मिश्रित	IVA	पुनर्स्थापन	8	RF-502	3.241	0.1	मिश्रित	IVA	पुनर्स्थापन	Total		314.743				
क्र.	वन कक्ष क.	प्रभावित रकबा (हे.मै.)	घनत्व	वन का प्रकार	स्थल गुणवत्ता	प्रबंधन प्रणाली																																																																		
1	RF-488	128.486	0.5	साल	IVA	SC 1																																																																		
2	PF-492	1.734	0.4	साल	IVA	पुनर्स्थापन																																																																		
3	PF-493	2.437	0.1	साल	IVA	पुनर्स्थापन																																																																		
4	PF-494	27.084	0.4	साल	IVB	पुनर्स्थापन																																																																		
5	RF-496	148.789	0.5	साल	IVB	पुनर्स्थापन																																																																		
6	PF-498	1.396	0.4	मिश्रित	IVB	पुनर्स्थापन																																																																		
7	RF-502	1.576	0.1	मिश्रित	IVA	पुनर्स्थापन																																																																		
8	RF-502	3.241	0.1	मिश्रित	IVA	पुनर्स्थापन																																																																		
Total		314.743																																																																						
8	वन्य जीव की दृष्टि से क्षेत्र का महत्व। वन्य जीव की स्थिति (घनत्व और महत्वपूर्ण प्रजातियों, पक्षी जीवन सरीसृप, तितलियों और अन्य अनुसूचित वन्यप्राणी किसी भी लुप्त प्राय वन्य जीवों की बहुतायत) की स्थिति इस क्षेत्र में वन्य जीवन की नवीनतम गणना	वन क्षेत्र में वन्य जीव – बंदर, सियार, लोमड़ी, लकड़बग्घा, घुटरी, चीतल, सांभर, नेवला, सांप सामान्यतः विचरण करते पाये जाते हैं।																																																																						
9	वनस्पति/पशुवर्ग या क्षेत्र में किसी भी अन्य अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र की स्थानिकता।	निरंक।																																																																						
10	वर्तमान भूमि उपयोग। इस क्षेत्र में कार्य करने में कामयाब रहे हैं तो कार्य आयोजना के नुस्खे नहीं, क्यों?	आवेदित क्षेत्र वन मण्डल की प्रचलित कार्य योजना अनुसार प्रबंधन की दृष्टि से एस.सी.आई. एवं पुनर्स्थापन कार्यवृत्त शामिल है। कार्य योजना के उपचार नियमों के अनुसार समय-समय पर कार्य कराए गए हैं।																																																																						
11	ऐतिहासिक या धार्मिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र का महत्व।	कोई ऐतिहासिक या धार्मिक स्थल इस क्षेत्र में नहीं है।																																																																						
12	इस जमीन पर किसी भी व्यक्तियों/परिवार का निर्भरता।	निरंक।																																																																						
13	व्यक्तियों के विस्थापन का प्रस्ताव	विस्थापन की आवश्यकता नहीं है।																																																																						
14	वहां किसी भी पुनर्वास और पुनर्स्थापन की योजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिये है? वहां विस्थापित करने के लिये प्रस्तावित व्यक्तियों के बीच किसी भी असहमति आवाज है?	निरंक।																																																																						
15	प्रस्तावित प्रतिपूरक वनीकरण वन भूमि या गैर वन भूमि पर है। वृक्षारोपण के लिये क्षेत्र की उपयुक्तता का स्थान। अर्बु, बिगड़ी वन भूमि में है तो वर्तमान कार्य आयोजना अनुसार विवरण गैर वन भूमि है तो नजदीक वन क्षेत्र से दूरी। मामला क्षेत्र में पैद की संख्या से अधिक किलोमीटर दूर करने के लिये किया जाना चाहिए।	प्रतिपूरक वनीकरण हेतु वन भूमि वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध है, जिस हेतु वनीकरण योजना तैयार की गई है।																																																																						
16	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नजदीक के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दूरी 10 किलो मीटर से अधिक की दूरी पर होना चाहिए।	प्रस्तावित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र से अचानकमार बायोस्फियर रिजर्व अमरकंटक से दूरी लगभग 95 कि.मी. है।																																																																						
17	इस क्षेत्र में जनजातीय की निर्भरता। चाहे आदिवासी के अधिकार के लिए इस क्षेत्र में मान्यता दी गई है।	प्रस्तावित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों को वनाधिकार पत्र नहीं दिये गये हैं।																																																																						
18	परियोजना के पास के इलाके में रहने वाले लोगों सहित परियोजना की उपयोगिता।	स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने से वनों पर निर्भरता कम होगी, एवं सामाजिक /आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।																																																																						
19	नवीनीकरण के मामले में पूर्व स्वीकृत के आदेश में निर्धारित की गई समस्त शर्तों का पालन किया गया है या नहीं।	निरंक।																																																																						

20	गैर साइट विशिष्ट परियोजनाओं के मामले में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा जांच विकल्प	निरंक।
21	वन भूमि गैर वानिकी उद्देश्य के न्यूनतम व्यपवर्तन के लिये अनुरोध किया गया है, उपयोगिता एजेन्सी द्वारा इसका प्रमाण पत्र	प्रमाण पत्र संलग्न है।
22	वन भूमि जिसका व्यपवर्तन किया जा रहा है जिस उद्देश्य के लिये सुनिश्चित करते हुए पेड़ वृद्धि को बचाने की कोई गुंजाइश।	प्रस्तावित परियोजना ओपन काष्ठ कोयला उत्खनन हेतु प्रस्तावित है। अतः प्रस्तावित वनभूमि में प्रभावित वृक्षों को बचाने की कोई गुंजाइश नहीं है।
23	महत्व के किसी भी अन्य मुद्दे।	कुछ नहीं
24	परियोजना के अनुमोदन के लिये कारण के साथ डी.एफ.ओ. की विशिष्ट सिफारिशें।	झिरिया वेस्ट ओ.सी.परियोजना (1.50 MTY) हेतु कक्ष क्रमांक आर.एफ. 488 रकवा 128.486 हे., पी.एफ. 492 रकवा 1.734 हे., पी.एफ. 493 रकवा 2.437 हे., पी.एफ. 494 रकवा 27.084 हे., आर.एफ. 496 रकवा 148.789 हे., पी.एफ. 498 रकवा 1.396 हे., आर.एफ. 502 रकवा 1.576 हे. एवं आर.एफ. 502 रकवा 3.241 हे. (रोड हेतु) कुल रकवा 314.743 हे. अनुमोदन किये जाने हेतु अनुशंसा की जाती है। उक्त कक्ष क्रमांक पी.एफ. 492 रकवा 1.734 हे., पी.एफ. 493 रकवा 2.437 हे., पी.एफ. 498 रकवा 1.396 हे. एवं आर.एफ. 502 रकवा 1.576 हे. कुल रकवा 7.143 हे.। उक्त कक्षों का अत्यंत कम रकवा आवेदित किया गया है, उक्त क्षेत्र में उत्खनन हो जाने से बाद में उक्त रकवा में प्रबंधन की समस्या हो सकती है। अतः कक्ष क्रमांक पी.एफ. 492 रकवा 1.734 हे., पी.एफ. 493 रकवा 2.437 हे., पी.एफ. 498 रकवा 1.396 हे. एवं आर.एफ. 502 रकवा 1.576 हे. कुल रकवा 7.143 हे. वन भूमि का केवल "माइनिंग सेफ्टी जोन" या अन्य कार्य में उपयोग किया जावे। उत्खनन कार्य किया जाना उचित नहीं होगा। राजस्व वन भूमि के तीन ग्रामों के 10 खसरो का कुल रकवा 39.515 हे., वन भूमि का 314.743 हे. कुल रकवा 354.258 हे. अनुमोदन किये जाने की अनुशंसा वनमंडलाधिकारी, वनमंडल अनूपपुर द्वारा की गई है, जिस पर सहमति व्यक्त की जाती है।

स्थान— शहडोल

दिनांक — 28/04/2020


 (डॉ० प्र०के० जोशी)
 मुख्य वन संरक्षक,
 वन वृत्त शहडोल (म०प्र०)